

16/7/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 21/07/22 को पेश हो।

12/07/22

पत्रावली पेश हुई। प्राथी वकील उप०। विधार्थी सं.
५ के वकील उप०। पत्रावली वाले विधार्थी सं. ५ के
जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 20/07/22 को पेश हो।

20/7/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 21/7/22 को पेश हो।

21/7/22

पत्रावली पेश हुई। प्राथी वकील उप०। विधार्थी सं. ५
के वकील उप०। पत्रावली वाले विधार्थी
सं. ५ के जवाब हेतु अनेक अवसर देने के
बावजूद भी पत्रावली पेश नहीं किया। अतः
उन्के जवाब के अवसर बन्द किया जाता है।
पत्रावली वाले वकालत हेतु आवेदन दिनांक
03/08/22 को पेश हो।

03/08/22

पत्रावली पेश हुई। प्राथीगण वकील उप०। शेष
विधार्थीगण के समान शामिल शुद्ध प्राप्त होने
के बावजूद भी उन्की ओर से कोई
भी आवेदन नहीं हुआ अतः उन्के
बिरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लायी
जाती है। प्राथीगण वकील ने उक्त आवेदन
पर बकायत पुनर्ने का निर्देशन किया।
बकायत हुनी गयी। बकायत पर मनब किया
गया। पत्रावली का अध्यापन अठलोकम
किया गया। पत्रावली के संबंध में कानूनी
का अवलोकन किया गया। अतः स्पष्ट
प्रतीत होता है कि प्राथीगण का प्राथीगण पर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

स्वीकार करते योग्य हैं

मत: नेरवप्रबन्धी भादेश भला है
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है
पत्रावली फौजल शुमार होकर जारील किया
हो। सरंवा से का हो।



विशेषज्ञों की सिफारिशें, हुए हैं।
पत्रावली सम्बन्धी प्रस्तावों के विचार-विचार
समयानुसार प्रस्तुत किए जायेंगे।
विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 43/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मगाराम वगैरा बनाम मनोहर वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थीगण वकील - बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक - 03.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र अरटी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी के मौजा सिहांनिया के खेत खसरा संख्या 669/377 रकबा 06.18 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता करनाराम आये। विप्रार्थी संख्या 2 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र अरटी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी के मौजा सिहांनिया के खेत खसरा संख्या 669/377 रकबा 06.18 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।
निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर


प्राथीगण 1. मंगाराम पुत्र सताराम 2. गेनाराम पुत्र सताराम 3. नीम्बाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी सिहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	विप्राथीगण 1. मनोहर 2. भीखा पि. बच्चु 3. नसीर पुत्र घतु 4. काना पुत्र भैरा 5. पुरखा 6. गुमना 7. सतराम पि. गंगाराम 8. आसु पुत्र गंगाराम 9. काना पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी सिहानिया तहसील सेड़वा 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 दिनांक : 03.08.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र अरटी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी के मौजा सिहानिया के खेत खसरा संख्या 669/377 रकबा 06.18 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्राथीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


 (रामजी माई कलबी)
 उपखण्ड अधिकारी
 01/सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/1692-96
 प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

दिनांक 05/08/2022

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी मंगाराम पुत्र सताराम वगैरा।
3. विप्राथीगण मनोहर पुत्र बच्चु वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।


 उपखण्ड अधिकारी
 01/सेड़वा